प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, डूंगरपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
   प्र.इ.रि.स 380/22 दिनांक 23/9/2022
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7 पी.सी.एक्ट (संशोधित) 2018
   (2) अधिनियम भा.द.स. – धाराएं –
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या 443 समय 5:00 pm
   (2) अपराध के घटने का दिन बुधवार दिनांक 22.06.2022
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 21.06.2022 समय 3.25 पी.एम
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल : –
   (1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 550 किलोमीटर
   (2) पता – पुलिस चौकी डूंगरसारण, पुलिस थाना कुँआ, जिला डूंगरपुर।
   ..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ..... जिला .....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

   <u>परिवादी</u>

   (1) नामः श्री महेश रोत
   (2) पिता का नाम : श्री माना रोत
   (3) आयुः 37 वर्ष
   (4) राष्ट्रीयता : भारतीय
   (5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
   (6) व्यवसाय : मजदूरी
   (7) पताः मु.पो. डूंगरसारण, पुलिस थाना कुँआ, जिला डूंगरपुर।
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहितः
   1. श्री धर्मेन्द सिंह पिता डूले सिंह जाति राजपुत उम्र 44 वर्ष निवासी मु.पो पीठ, पुलिस थाना धम्बोला जिला डूंगरपुर तत्कालीन हैड कानि.न. 70 पुलिस चौकी डूंगरसारण, पुलिस थाना कुंआ जिला डूंगरपुर।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विषिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	–	परिवादी श्री महेश रोत एवं सहपरिवादी श्री जयन्तिलाल रोत (परिवादी का भाई) द्वारा पारिवारिक आपसी जमीनी विवाद को लेकर एक रिपोर्ट पुलिस चौकी डूंगरसारण पर दी थी। जिसमें सही कार्यवाही कर चालान पेश करने की एवज में आरोपी श्री धर्मेन्द्र सिंह हैड कानि. न. 70 द्वारा मांग सत्यापन के दौरान 2000 रूपये ग्रहण करना तथा शेष 5000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य –
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदयजी,

वाकियात मामला हाजा इस संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 21.06.2022 को परिवादी श्री महेश पिता श्री माना रोत निवासी डूंगरसारण एवं श्री जयन्तिलाल पिता श्री लालशंकर रोत निवासी डूंगरसारण जिला डूंगरपुर द्वारा ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पर उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट श्री बाबूलाल कानि. के समक्ष इस आशय की पेश की कि'' मुझ प्रार्थी महेश पिता माना रोत निवासी डूंगरसारण थाना कुंआ जिला डूंगरपुर का रहने वाला हूं। हमारे परिवाजनों के बीच जमीन को लेकर आपसी विवाद को लेकर कानूनी कार्यवाही हेतु एक लिखित रिपोर्ट पुलिस चौकी डूंगरसारण थाना कुंआ जिला डूंगरपुर पर दिनांक 19.06.2022 को पेश की गई। रिपोर्ट देने के बाद पुलिस चौकी एक सिपाही को भेजा गया और चौकी हैड साहब श्री धर्मेन्द्रसिंह द्वारा मुझे चौकी पर बुलाने पर मैं एवं मेरा भाई श्री जयन्तिलाल दोनों चौकी पर गये। हैड साहब ने कहा कि आपके क्या कार्यवाही करवानी हैं और सही कानूनी कार्यवाही कर चालान करने के लिए रूपये देने पडेंगे और जब तक रूपये नहीं दोगे तो कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। कार्यवाही के नाम हैड साहब द्वारा मेरे भाई श्री जयन्तिलाल के माध्यम से 7000 रूपये खर्चेपानी (रिश्वत) राशि की मांग की गई और कहा कि 7000 रूपये राशि नहीं दी तो कोई कार्यवाही होगी। मैं गरीब आदमी हूं इतना पैसा नहीं दे सकता हूं। आपके विभाग से हैड साहब को रिश्वत लेते हुए पकडवाने की कार्यवाही कराना चाहता हूँ। हैड साहब से मेरी कोई रंजीश नहीं हैं। मेरे भाई जयन्तिलाल को साथ लेकर आया हूँ। कानूनी कार्यववाही करावें'' श्री माधोसिंह अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष श्री बाबुलाल कानि–393 को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अपने पास रखते हुये परिवादीगण् के हमराह जाकर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। श्री बाबुलाल कानि0 निर्देशानुसार दिनांक 22.06.2022 को डिजिटल टेप रिकोर्डर लेकर ब्यूरो इकाई, डूंगरपुर से रवाना होकर परिवादी श्री महेश एवं जयन्तिलाल से सम्पर्क कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन हेतु पुलिस चौकी डूंगरसारण गया हुआ श्री बाबुलाल एवं हमराह परिवादीगण् श्री महेश एवं जयन्तिलाल के ब्यूरो इकाई, डूंगरपुर उपस्थित आया। श्री बाबुलाल कानि0 डिजिटल टेप रिकोर्डर एवं दिनांक 21.06.2022 को परिवादी श्री महेश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि निर्देशानुसार मय डिजिटल टेप रिकोर्डर के ब्यूरो इकाई, डूंगरपुर से रवाना होकर पुलिस चौकी डूंगरसारण के पास पहूंचा जहॉ पर पूर्व से पांबद शुदा दोनों परिवादीगण् उपस्थित मिले। सह परिवादी श्री जयन्तिलाल को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकोर्डर के संचालन विधि पूर्णतया समझाते हुये टेप रिकोर्डर चालु कर रिश्वत मांग सत्यापन के लिए सह परिवादी श्री जयन्तिलाल एवं परिवादी श्री महेश पुलिस चौकी के रवाना कर मैं चौकी के आस–पास अपनी उपस्थित छुपा कर मुकिम रहा। करीब 15 मिनट बाद परिवादीगण् श्री जयन्तिलाल एवं श्री महेश पुलिस चौकी से बाहर आये, जिस पर मेरे द्वारा डिजिटल टेप रिकोर्डर को बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। सह परिवादी श्री जयन्तिलाल ने कानि0 श्री बाबूलाल को बताया कि हैड साहब श्री धर्मेन्द्रसिंह ने श्री महेश द्वारा पुलिस चौकी डूंगरसारण पर दी गई रिपोर्ट पर सही कानूनी कार्यवाही कर विपक्षी पार्टी का चालान करने हेतु 7000 रूपये रिश्वत की मांग करते हुये मांग सत्यापन के दौरान 2000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण कर ली हैं तथा बकाया रिश्वत राशि 5000 रूपये लेकर कल या परसो (दिनांक 23, 24–06–2022) को देने हेतु कहा गया हैं एवं रिश्वत राशि आरोपी हैड कानि0 सहपरिवादी श्री जयन्तिलाल के माध्यम से ग्रहण करेगा।

परिवादीगण् श्री जयन्तिलाल एवं श्री महेश ने भी कानि0 द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद करते हुये परिवादी श्री महेश ने कहा कि हमारे परिवारजनों के बीच में जमीन को लेकर आपस विवाद हो गया, जिस कानूनी कार्यवाही हेतु दिनांक 19.06.2022 को पुलिस चौकी डूंगरसारण थाना कुंआ जिला डूंगरपुर दी गई हैं, जिसकी जांच पुलिस चौकी के हैड साहब श्री धर्मेन्द्रसिंह द्वारा की जाकर रिपोर्ट सही कानूनी कार्यवाही कर चालान पेश करने हेतु मेरे परिवार के भाई श्री जयन्तिलाल के माध्यम से 7000 रूपये की रिश्वत राशि मांग की गई, जिस पर मैं एवं श्री जयन्तिलाल दिनांक 21.06.2022 को ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर आकर श्री धर्मेन्द्रसिंह हैड साहब द्वारा रिश्वत मांगने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। हैड साहब रिश्वत राशि मेरे भाई श्री जयन्तिलाल के माध्यम से ही ग्रहण करेगा। सहपरिवादी श्री जयन्तिलाल ने परिवादी श्री महेश द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की गई। परिवादी श्री महेश द्वारा दिनांक 21.06.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवादी श्री महेश एवं जयन्तिलाल को पढकर सुनाया गया तो दोनों परिवादीगण् प्रार्थना पत्र शब्द–बशब्द सही होना स्वीकार किया गया।

तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माधो सिंह द्वारा डिजिटल टेप रिकोर्डर को चला कर सुना गया तो आरोपी श्री धर्मेन्द्रसिंह हैड कानि0 द्वारा मांग सत्यापन के दौरान 7000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करते हुये 2000 रूपये रिश्वत राशि के ग्रहण करना एवं शेष 5000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवादी श्री महेश को रिश्वत राशि 5000 रूपये लेकर दिनांक 23.06.2022 को प्रातः 8.00 एएम पर उपस्थित आने हेतु कहा तो परिवादी श्री महेश ने कहा कि रिश्वत राशि की दिनांक 24.06.2022 तक हो पायेगी, जिस पर परिवादी श्री महेश एवं श्री जयन्तिलाल को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 24.06.2022 को समय 8.00 एएम पर ब्यूरो इकाई, डूंगरपुर उपस्थित आने एवं कार्यवाही की पूर्ण गोपनीयता बरते की मुनासिब हिदायत करते हुये रूखसत किये गये तथा डिजिटल टेप रिकोर्डर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया तथा परिवादी श्री महेश द्वारा दिनांक 21.06.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय रूनिंग नोट श्री बाबुलाल कानि0 को सुपूर्द किया गया।

मन् पुलिस उप अधीक्षक को श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो उदयपुर रेंज उदयपुर द्वारा दिनांक 23–6–22 को आदेशित किया गया कि "आपको दिनांक 24–6–22 ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पहुंचकर श्री माधोसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर गोपनीय कार्यवाही की जानी है।" जिसकी पालना में दिनांक 24.06.2022 को समय 8.30 एएम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि, करणसिंह हैड कानि, श्री मांगीलाल कानि, श्री अशोक कुमार कानि मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के प्राइवेट वाहन व चालक के ब्यूरो कार्यालय उदयपुर से रवाना होकर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर पहुंचकर श्री माधोसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ। श्री माधोसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी श्री महेश पिता श्री माना रोत निवासी डूंगरसारण एवं श्री जयन्तिलाल पिता श्री लालशंकर रोत निवासी डूंगरसारण से मन् पुलिस उप अधीक्षक का आपस में परिचय कराया एवं श्री माधोसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पूर्व में ही तलब किये गये स्वतंत्र गवाह श्री हेमन्त पण्डया पुत्र श्री गुलाबराम पण्डया उम्र 52 वर्ष मूल निवासी मुकाम पोस्ट बस्सी तहसील दोवडा, जिला डूंगरपुर हाल निवासी प्लाट नं. 15 गणेश नगर, इण्डस्ट्रीयल एरिया डूंगरपुर हाल अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं श्री अश्विनी कुमार जोशी पुत्र श्री रमेशचंद्र जोशी उम्र 46 वर्ष मूल निवासी मकान नम्बर 26, भुवनेश्वरी कॉलोनी, सुशील वाटिका के पास डूंगरपुर हाल निवासी 191 जीएडी गवर्मेंट क्वार्टर, साबेला तालाब के पास, बाईपास रोड डूंगरपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, डूंगरपुर से भी आपस में परिचय कराया गया। तत्पश्चात श्री माधोसिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को परिवादी एवं सहपरिवादी द्वारा दिनांक 21–6–2022 पेश की गयी रिपोर्ट सुपूर्द करते हुए अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने हेतु आदेशित करते हुए बताया कि उक्त कार्यवाही में दिनांक 22–6–22 को मांग सत्यापन कराया जा चुका है जिसको ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में नियमानुसार रिकॉर्ड किया जा चुका है जो ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर की मालखाने में सुरक्षित रखा हुआ है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को श्री बाबूलाल कानि. से मंगवाया जाकर मन् पुलिस उप अधीक्षक को दिया। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक परिवादी, सहपरिवादी, दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी की पेशशुदा रिपोर्ट, डिजिटल टेप रिकॉर्डर को लेकर ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर के अन्य कार्यालय कक्ष में ले जाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं सहपरिवादी का आपस में परिचय कराया गया। इसके उपरांत दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने हेतु सहमति चाही गयी तो दोनों स्वतंत्र गवाह श्री हेमन्त पण्डया एवं श्री अश्विनी कुमार जोशी ने अपनी–अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। जिसके उपरांत मन पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा परिवादी एवं सहपरिवादी द्वारा दिनांक 21–6–2022 की पेश की गयी हस्तलिखित रिपोर्ट को पढकर सुनाई तो परिवादी ने अपनी स्वयं की हस्तलिपि में लिखी होकर अपने हस्ताक्षर होने की ताईद की एवं सहपरिवादी ने भी रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना जाहिर किया। जिसके उपरांत पूर्व में डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर परिवादी, सहपरिवादी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुनाया तो आरोपी श्री धमेन्द्र सिंह, हैड कानि के द्वारा रिश्वत मांग की पुष्टि होना पाया गया। उपस्थितिन ने भी आरोपी श्री धर्मेन्द्र सिंह, हैड कानि के द्वारा परिवादी, सहपरिवादी से रिश्वत राशि मांगना बताया। तत्पश्चात समयः 9.30 ए. एम. पर दिनांक 22–6–22 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कि डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को ब्यूरो के लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की मूल एवं डब सीडी तैयार की गयी। मूल सीडी को लेपटॉप से चलाकर उक्त रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट कानि. श्री मांगीलाल से तैयार करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता

की मूल एवं डब सी.डी तैयार करा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करा मूल सी.डी. को कवर में रखकर सीलचिट कर कब्जे ब्यूरो ली गई तथा डब सी.डी. को सुरक्षित रखी गई। उसके बाद समय करीब 10.15 ए.एम. पर उपरोक्त गवाहान के समक्ष मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री महेश से आरोपी श्री धमेन्द्र सिंह, हैड कानि. को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री महेश ने अपने पास से 500 500 रूपये की 10 नोट कुल राशि 5,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के करेन्सी नोट पेश किये। परिवादी श्री महेश द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटों पर श्री जितेन्द्र कुमार कानि. 390 से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर के मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर सहपरिवादी श्री जयंतीलाल की जागा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री अश्विनी कुमार से लिवाई जाकर नोटों को सहपरिवादी श्री जयंतीलाल की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में कोई शै: नही छोडते हुए रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री अशोक कुमार कानि. से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी, सहपरिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री जितेन्द्र कुमार कानि. की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी, सहपरिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी द्वारा सहपरिवादी से रिश्वती राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री जितेन्द्र कुमार कानि. से बाहर फिकवाया गया तथा अखबार को जलाकर नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री जितेन्द्र कुमार कानि. से कार्यालय के मालखाने में पुनः सुरक्षित रखवाई गई तथा उपरोक्त कांच के गिलास को दो बार साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। सहपरिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोडकर अभिवादन करें। सहपरिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा सहपरिवादी को मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल नम्बर भी देते हुए समझाईश की गई कि मौका मिलने पर मिस कॉल कर भी गोपनीय ईशारा करें। श्री अशोक कुमार कानि से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दोनों गवाहान, परिवादी, सहपरिवादी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी, सहपरिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन देन को देखने व सुनने का प्रयास करे एवं सहपरिवादी श्री जयंतीलाल को डिजीटल टेप रिकॉर्डर देते हुए हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करें। परिवादी, सहपरिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। श्री जितेन्द्र कुमार कानि. को बाद हिदायत ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर मे ही उपस्थित रहने की हिदायत दी गई तथा उक्त कार्यवाही की फर्द पृथक से मूर्तिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात समय करीब 11.50 ए.एम. पर परिवादी श्री महेश, सहपरिवादी श्री जयंतीलाल मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर, श्री बाबूलाल कानि को परिवादी की निजी कार से डूंगरसारण के लिए रवाना करते हुए मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता श्री मुनीर मोहम्मद हैड कानि, करणसिंह हैड कानि, श्री मांगी लाल कानि, श्री अशोक कुमार कानि मय लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के प्राइवेट वाहन से डूंगरसारण के लिए रवाना हुए। समय करीब 1.30 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान के पुलिस चौकी डूंगरसारण के पास पहुंच अपने अपने वाहनों को साईड में खडा कर सहपरिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू करने की हिदायत देते हुए परिवादी एवं सहपरिवादी को मुनासिब हिदायत देकर रिश्वत राशि लेनदेन हेतु पुलिस चौकी डूंगरसारण के लिए परिवादी के रवाना किया गया। उनके पीछे पीछे मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता भी रवाना होकर पुलिस चौकी डूंगरसारण के आसपास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए सहपरिवादी के निर्धारित ईशारे के इंतजार में खडे रहे। समय करीब 1.45 पी.एम. पर सहपरिवादी व परिवादी पुलिस चौकी से बाहर आकर बिना कोई ईशारे किये मन् पुलिस उप अधीक्षक के पास आकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालू किया जिसे मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा बंद किया गया। सहपरिवादी ने बताया

कि हम दोनों चौकी पर गये लेकिन हैड साहब नहीं मिले। मालूम करने पर बताया कि"हैड साहब राजकार्य से बाहर गये हुए है जो कब आयेंगे उसका हमें पता नहीं है।" जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहीयान, परिवादी, सहपरिवादी के मौके से रवाना होकर डूंगरसारण चौकी से कुछ दूरी पर एकांत में जाकर आरोपी श्री धर्मेन्द्र सिंह हैड कानि के आने के इंतजार में रहे। तत्पश्चात समय करीब 7.00 पी.एम. पर आरोपी श्री धर्मेन्द्र सिंह हैड कानि की गोपनीय रूप से मालूमात करायी गयी तो हैड कानि. तब तक चौकी पर उपस्थित नहीं हुआ था और उस दिन आने की संभावना नहीं थी। जिस पर हालात उच्चाधिकारी को निवेदन किये। आरोपी श्री धर्मेन्द्र सिंह हैड कानि. के उस दिन पुलिस चौकी पर उपस्थित आने की संभावना नहीं होने से एवं रात्रि का समय होने से ट्रेप कार्यवाही की जाना मुमकिन नहीं होने से सहपरिवादी श्री जयंतीलाल की पेंट की सामने की दाहिनी जेब में रखी रिश्वती राशि स्वतंत्र गवाह श्री अश्विनी कुमार से निकलवायी जाकर एक लिफाफे में रखवाकर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखी गयी। तत्पश्चात मन् पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा परिवादी एवं सहपरिवादी को कहा कि "आरोपी श्री धर्मेन्द्र सिंह हैड कानि के पुलिस चौकी डूंगरसारण पर उपस्थित होने की सूचना जरिये दूरभाष मन् पुलिस उप अधीक्षक को देवें।" परिवादी एवं सहपरिवादी को गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर मौके से घर के लिए रूखसत कर मन पुलिस उप अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, डिजिटल टेप रिकॉर्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स इत्यादि के प्राइवेट वाहन से ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर के लिए रवाना हुआ। समय करीब 9.00 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता, डिजिटल टेप रिकॉर्डर, लेपटॉप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर पहुंच ट्रेप बॉक्स में लिफाफे में रखी रिश्वती राशि एवं डिजिटल टेप रिकॉर्डर, सीलचिट शुदा मूल एवं डब सीडी को ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर के मालखाने में सुरक्षित रखने हेतु श्री लादूराम हैड कानि को सुरक्षित संभलायी गयी। तत्पश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत देते हुए रूखसत किया गया। हालात श्री माधोसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो डूंगरपुर को अर्ज किये गये।

दिनांक 14.07.2022 को समयः 12.00 पी.एम. पर श्रीमान् पुलिस अधीक्षक–प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 1846 दिनांक 05.07.2022 से मन् पुलिस उप अधीक्षक का स्थानान्तरण ब्यूरो चौकी डूंगरपुर पर किये जाने से मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा दिनांक 14.07.2022 को ब्यूरो चौकी डूंगरपुर का कार्यभार ग्रहण कर लिया। ब्यूरो चौकी डूंगरपुर पर पदस्थापित श्री नारायण लाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उक्त ट्रेप कार्यवाही की पत्रावली मन् पुलिस उप अधीक्षक को सुपुर्द की गई व जाहिर किया कि आरोपी को सम्भवतया ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने से परिवादी से सम्पर्क नहीं कर रहा हैं। जिस पर आईन्दा ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना का पता लगाकर अग्रिम कार्यवाही किया जाना निश्चित किया। दिनांक 18.07.2022 को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री बाबूलाल को हिदायत दी गई कि परिवादी श्री महेश रोत एवं सहपरिवादी श्री जयन्तिलाल से सम्पर्क कर ट्रेप कार्यवाही सम्भव है या नहीं स्पष्ट मालुमात कर रिपोर्ट करें। दिनांक 20.07.2022 को कानि. श्री बाबूलाल ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि आपके आदेशानुसार परिवादी व सहपरिवादी से सम्पर्क किया गया तो उन्होने बताया कि इस कार्यवाही के संबंध में ब्यूरो कार्यालय डूंगरपुर में आते हुए हमे हमारे गांव के किसी व्यक्ति ने देख लिया और गांव में मेरे एसीबी कार्यालय में जाने की सूचना लोगों को देने से श्री धर्मेन्द्र सिंह हैड कानि. को जानकारी मिल जाने से हमसे सम्पर्क करना बंद कर दिया। इसलिए अब हमसे हैड साहब रिश्वत् राशि ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की सम्भावना नहीं होने से मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि. श्री बाबूलाल को हिदायत दी गई कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी व सहपरिवादी को कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करें। दिनांक 18.08.2022 को समय करीब 11. 00 ए.एम. पर तलबिदाशुदा परिवादी महेश रोत एवं सहपरिवादी श्री जयन्तिलाल रोत उपस्थित कार्यालय आये और बताया कि मेरे घर पर खेतीबाडी का कार्य होने से इतने दिन हम नहीं आ पाये, आज दिनांक को उपस्थित आये हैं। जिस पर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री हेमन्त पण्ड्या अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं श्री अश्विनी कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी को अविलम्ब ब्यूरो इकाई डूंगरपुर पर उपस्थित आने हेतु जरिये दूरभाष निर्देशित किया गया। तत्पश्चात समय करीब 4 15 पी.एम. पर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री हेमन्त पण्ड्या अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं श्री अश्विनी कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी को अब तक की ट्रेप कार्यवाही के सम्पूर्ण हालात बताये जाकर परिवादी श्री महेश रोत को रिश्वत् राशि 5000 रूपये को जरिये फर्द पुनः लौटाये गये तथा प्रकरण में रिश्वत् राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दौराने ट्रेप कार्यवाही रिकार्ड की गई वार्ताओं की सीलशीट शुदा मूल सीडी व डब सीडी को मालखाना रजिस्टर में श्री वीर विक्रम सिंह कानि. कार्यवाहक मालखाना प्रभारी से इन्द्राज कराया जाकर मूल व डब सीडियों सुपुर्द कर जमा मालखाना कराया गया तथा परिवादी श्री महेश रोत, सहपरिवादी श्री जयन्तिलाल व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री हेमन्त पण्ड्या अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं श्री अश्विनी कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी को मुनासिब हिदायत के रूकसत किये गये।

प्रकरण में परिवादी श्री महेश रोत द्वारा दिनांक 21.06.2022 को पेश प्रार्थना पत्र, फर्द रिश्वत् मांग सत्यापन, फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगीनोट व दृष्टांत फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट दौराने ट्रेप कार्यवाही, फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं ट्रेप कार्यवाही के सम्पूर्ण हालात से स्पष्ट है कि श्री धमेन्द्रसिंह हैड कानि0 न. 70 पुलिस चौकी डूंगरसारण थाना कुआ जिला डूंगरपुर द्वारा परिवादी श्री महेश रोत से उसके द्वारा घरेलु जमीन विवाद पर कानूनी कार्यवाही हेतु दी गई रिपोर्ट की जांच आरोपी हैड कानि0 द्वारा की जाकर सही कार्यवाही कर चालान करने के एवज में 7000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। जिस पर दिनांक 22.06.2022 को नियमानुसार रिश्वत् मांग सत्यापन कराया गया। दौराने रिश्वत् मांग आरोपी श्री धर्मेन्द्र सिंह हैड कानि.न. 70 द्वारा परिवादी श्री महेश रोत से 7000 रूपये रिश्वत राशि मांग करते हुए 2000 रूपये रिश्वत राशि के ग्रहण करना एवं शेष 5000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया जाने पर दिनांक 24.06.2022 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजित की गई परन्तु आरोपी को ब्यूरो की ट्रेप कार्यवाही की भनक लग जाने से परिवादी से सम्पर्क करना एवं उसकी मांग अनुसार रिश्वत् राशि ग्रहण नहीं की गई,।

अब तक की कार्यवाही से श्री धमेन्द्र सिंह हैड कानि.न. 70 द्वारा परिवादी श्री महेश रोत से 7000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करते हुए 2000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करना एवं शेष 5000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना प्रथम दृष्ट्या जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 का अपराध प्रमाणित हैं।

अतः आरोपी श्री धर्मेन्द सिंह पिता डूले सिंह जाति राजपुत उम्र 44 वर्ष निवासी मु.पो पीठ, पुलिस थाना धम्बोला जिला डूंगरपुर तत्कालीन हैड कानि.न. 70 पुलिस चौकी डूंगरसारण, पुलिस थाना कुंआ जिला डूंगरपुर के विरूद्ध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

(हेरम्ब जोशी)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
डूंगरपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हेरम्ब जोशी, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री धर्मेन्द्र सिंह, तत्कालीन हैड कानि. नम्बर 70, पुलिस चौकी डूंगरसारण, पुलिस थाना कुंआ, जिला डूंगरपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 380/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

23.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3299-3303 दिनांक 23.9.2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला डूंगरपुर।
5. अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर।

23.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।